न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर
बइजलास–दिनेश कुमार यादव, आई.ए.एस

राजस्व मामला संख्या – 33/2012

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1. धर्माराम पुत्र रामकरण जाति जाट 2. छोटूराम पुत्र गिरधारीराम जाति जाट 3. सुखराम पुत्र जीवनराम जाति जाट 4. दिनेश पुत्र नोरतमल जाति माहेश्वरी 5. तुलछाराम पुत्र दलाराम जाति जाट 6. छोटूराम पुत्र जवाहरराम जाति जाट 7. श्रवणराम पुत्र मांगूराम जाति जाट निवासीगण मोरियाना तहसील डेगाना जिला नागौर		1. देवीसिंह पुत्र लादूसिंह जाति राजपूत निवासी मोरियाना तहसील डेगाना जिला नागौर (राज.) 2. सुखाराम पुत्र रमजीराम जाति बावरी निवासी मोरियाना तहसील डेगाना जिला नागौर (राज.) 3. आश्वासन बाल ग्राम संचालित श्री शनिधाम ट्रस्ट महासचिव सुश्री नीतू पि. अशोक कुमार अरोडा जाति अरोडा निवासी आलावास तहसील सोजत जिला पाली (राज.)

उपस्थिति :–
1. प्रार्थीगण की ओर से वकील श्री महेन्द्र कुमार शर्मा।
2. अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से वकील श्री हेमसिंह चौधरी।
3. अप्रार्थी संख्या–3 की ओर से कोई उपस्थित नहीं।

राजस्व मामला संख्या – 03/2012 (अतिरिक्त जिला कलक्टर नागौर के समक्ष प्रस्तुत प्रकरण के पक्षकारान)

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1. धर्माराम पुत्र रामकरण जाति जाट 2. छोटूराम पुत्र गिरधारीराम जाति जाट 3. सुखराम पुत्र जीवनराम जाति जाट 4. सुण्डाराम पुत्र जोधराम जाति जाट 5. रोडाराम पुत्र हरदेवराम जाति जाट 6. दिनेश पुत्र नोरतमल जाति माहेश्वरी 7. सुगनाराम पुत्र भींयाराम जाति जाट 8. तुलछाराम पुत्र दलाराम जाति जाट 9. संग्राम पुत्र घीसाराम जाति जाट 10. उगमाराम गोद पुत्र श्री मनरुपराम जाट 11. छोटूराम पुत्र जवाहरराम जाति जाट 12. श्रवणराम पुत्र मांगूराम जाति जाट निवासीगण मोरियाना तहसील डेगाना जिला नागौर		1. देवीसिंह पुत्र लादूसिंह जाति राजपूत निवासी मोरियाना तहसील डेगाना जिला नागौर (राज.) 2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार डेगाना

1. प्रार्थीगण की ओर से वकील श्री भवंरलाल चौधरी।
2. अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से वकील श्री हेमसिंह चौधरी एवं अप्रार्थी संख्या–2 की ओर से राजपैरोकार श्री कुन्दनसिंह आचीणा उपस्थित।

निर्णय **दिनांक : 11-11-19**

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत अप्रार्थी संख्या–1 देवीसिंह को खसरा नम्बर 129/1 में से 5 बीघा भूमि का शिविर प्रभारी पंचायत समिति क्षैत्र रियाबड़ी (भूमि आवंटन एवं नियमन केम्प) मोडीकलां के किये गये आवंटन/नियमन आदेश 27.06.2002 को निरस्त घोषित करने हेतु प्रस्तुत किया है, जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या–3 आश्वासन बाल ग्राम संचालित श्री शनिधाम ट्रस्ट महासचिव सुश्री नीतू पि. अशोक कुमार अरोडा जाति अरोडा निवासी आलावास तहसील सोजत जिला पाली (राज.)ने हस्तगत प्रकरण की सुनवाई कार्यवाही में भाग नहीं लिया।

Scanned by CamScanner

इस न्यायालय में प्रस्तुत प्रकरण संख्या–33/2012 के प्रार्थीगण व अन्य द्वारा हस्तगत प्रकरण के अप्रार्थी संख्या 1 देवीसिंह व तहसीलदार डेगाना के विरूद्ध राजस्थान भू राजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत उक्त आवंटन/नियमन आदेश 27.0.2002 को निरस्त करवाने हेतु न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नागौर में भी दिनांक 5.1.12 को प्रस्तुत किया। जिस पर न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नागौर द्वारा प्रकरण संख्या–3/12 बअनुवान धर्माराम बनाम देवीसिंह वगैरह दर्ज कर कार्यवाही प्रारम्भ की गई। अतिरिक्त जिला कलक्टर नागौर ने अपनी आदेशिका दिनांक 02.04.2013 से नियमन के मामलों में सुनवाई हेतु क्षेत्राधिकार न्यायालय जिला कलक्टर नागौर को होने तथा वहां पहले से ही इन्ही पक्षकारों द्वारा नियम 14(4) भू आवंटन नियम 1970 के तहत विचाराधीन होने से तथा एक ही बिन्दू पर दोहरी कार्यवाही न हो इसलिए प्रकरण संख्या 3/12 आगामी सुनवाई हेतु इस न्यायालय को भिजवाया गया है। उक्त प्रकरण संख्या 3/12 की पत्रावली इस न्यायालय को प्राप्त होने पर आदेशिका दिनांक 30.04.2013 के अनुसार उक्त पत्रावली को शा0मि0 करने के आदेश दिये गये है, जो मूल पत्रावली हस्तगत प्रकरण की पत्रावली के संलग्न है। इस न्यायालय में प्रस्तुत राजस्व मामला संख्या–33/12 व अतिरिक्त जिला कलक्टर नागौर के न्यायालय का उक्त राजस्व मामला संख्या–03/2012 की विषयवस्तु समान होने से दोनों का एक साथ निर्णय किया जाना उचित है। अतः प्रकरण में वकुलाय की बहस सुनी गई।

वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी श्री महेन्द्र कुमार शर्मा ने अपनी बहस में कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 ने ग्राम मोरियाना की आबादी के नजदीक स्थित दर्जूडी नाडी के अंगौर उपयोगी भूमि खसरा नम्बर 129/1 रकबा 8 बीघा 14 बिस्वा पर स्वंय का अतिक्रमण बताकर व स्वंय को गलत रूप से भूमिहीन काश्तकार बताकर सही तथ्य छिपाकर शिविर में उपस्थित कर्मचारियों के साथ मिलावट कर अधिकारियों के साथ धोखाधडी कर गलत तथ्यों के आधार पर उक्त खसरा में सें 5 बीघा भूमि का आवंटन स्वंय के नाम दिनांक 27.06.2002 को करवा लिया जिसके आधार पर अप्रार्थी सं. 1 के नाम से उक्त 5 बीघा भूमि का दिनांक 29.03.2004 को गैर खातेदार के रूप में नामान्तरकरण संख्या 625 स्वीकृत किया गया व खातेदारी के रूप में दिनांक 04.02.2008 को नामान्तरकरण संख्या 748 स्वीकृत किया गया। जिसकी जानकारी प्रार्थीगण व ग्रामवासियों को नहीं हुई। सारी कार्यवाही बाले बाले मिलावट कर की गई। तत्पश्चात् अप्रार्थी संख्या एक ने उक्त 5 बीघा भूमि का 1/10 वां हिस्सा दिनांक 09.01.2011 को अप्रार्थी संख्या 3 को विक्रय कर दिया जिन्होने स्वंय के नाम नामान्तरकरण दर्ज करवाने की कार्यवाही पटवारी हल्का ग्राम पंचायत में की तब पटवारी हल्का व ग्राम पंचायत से उक्त आवंटन के संबंध में जानकारी हुई तब प्रार्थीगण ने नकले प्राप्त की जो नकले सर्वप्रथम दिनांक 14.09.2011 को प्राप्त होने पर जानकारी हुई। जिस पर प्रार्थीगण ने विधिक राय हेतु मेडता अधिवक्ता से सम्पर्क किया तो उन्होने राजस्व अपील अधिकारी न्यायालय के समक्ष अपील पेश करने की सलाह दी जिस पर प्रार्थीगण की ओर से अपील पेश की। राजस्व अपील अधिकारी नागौर कैम्प मेडता द्वारा दिनांक 13.02.2012 को निरस्त कर दी साथ ही प्रार्थीगण को नियम 14 (4) के अन्तर्गत आवेदन पेश करने की स्वतंत्रता दे दी। जिस पर पुनः नकल हेतु आवेदन पेश कर नकले दिनांक 22.02.2012 को प्राप्त हुई जिसपर उक्त आंवटन को निरस्ती हेतु राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आंवटन) नियम 1970 के नियम 14 (4) के अन्तर्गत यह आवेदन पेश किया है।

आवंटन/नियमन आदेश दिनांक 27.06.2002 खिलाफ कानूनी व राजस्थान भू राजस्व अधिनियम राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एंव राजस्व भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आंवटन) नियम 1970 के नियमों एंव प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है। अप्रार्थी संख्या 1 ने उक्त आवंटन तथ्य छिपाकर व गलत तथ्य बताकर राजस्व कर्मचारियों के साथ मिलावट कर व धोखाकर कपट मिलावट साजिश व मिस रिप्रजेन्टेशन के आधार पर करवाया है जो आंवटन गलत रूप से करवाया गया होने से उक्त आंवटन/नियमन निरस्त होने योग्य है। अप्रार्थी संख्या 1 को उक्त भूमि का आंवटन/नियमन गलत रूप से पेश हुआ है। आंवटन/नियमन की सर्वप्रथम शर्त नियम 11 के तहत् ऐसा व्यक्ति भूमिहीन काश्तकार होना आवश्यक है। भूमिहीन काश्तकार की परिभाषा उक्त नियम 1970 के नियम 2 के अन्तर्गत दी गई है जिसके अनुसार भूमिहीन काश्तकार से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से जो नियम 12 के तहत् निर्धारित भूमि से कम भूमि का खातेदार काश्तकार हो। नियम 12 के तहत् 15 बीघा भूमि से कम भूमि का खातेदार भूमिहीन काश्तकार की श्रेणी में आता है अर्थात् 15 बीघा तक भूमि के खातेदारी अधिकार रखने वाले को भूमि नियमानुसार भूमि आंवटित/नियमन की जा सकती है। इस श्रेणी में पूर्व में भूमि विक्रय या अन्य से हस्तान्तरण करने वाला व्यक्ति सम्मलित नहीं है अर्थात् यदि पूर्व में उक्त व्यक्ति ने अपनी सम्पूर्ण या कुछ भाग भी भूमि विक्रीत या हस्तान्तरित कर दी है व अब उसके पास 15 बीघा से कम भूमि हो तो भी भूमिहीन

Scanned by CamScanner

काश्तकार की श्रेणी में नहीं आता है। अप्रार्थी संख्या 1 के पिता लादूसिंह के खातेदारी में कुल 122 बीघा 8 बिस्वा भूमि रही जो अप्रार्थी संख्या 1 को उतराधिकार में प्राप्त हुई है तथा उसकी खातेदारी में दर्ज रही। इस प्रकार उपरोक्त वर्णित अनुसार अप्रार्थी संख्या 1 के पास 15 बीघा भूमि से अधिक भूमि खातेदारी में दर्ज रही, जिसका विक्रय हस्तान्तरण अप्रार्थी संख्या 1 ने पूर्व में कर दिया। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 1 भूमिहीन काश्तकार की श्रेणी में नहीं आता है व न ही आंवटन/नियमन करवाने का अधिकारी है फिर भी उक्त तथ्यों को छिपाकर व राजस्व कर्मचारियों को उक्त तथ्यों की जानकारी होते हुए भी मिलावट कर सही तथ्यों को छिपाकर आंवटन/नियमन करवाया है। इसलिए भी नियमन/आंवटन आदेश निरस्त होने योग्य है।

खसरा नम्बर 129/1 सरकारी भूमि थी तथा धारा 16 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के अन्तर्गत प्रतिबंधित भूमि की श्रेणी में आती है जिस पर किसी भी प्रकार के खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते है व न ही खातेदारी अधिकार दिये जा सकते है। ऐसी भूमि आंवटन/नियमन से भी प्रतिबंधित है तथा नियम 4 के तहत् ऐसी भूमि आंवटन/नियमन हेतु उपलब्ध नहीं है अर्थात ऐसी भूमि का नियमन नहीं किया जा सकता है इसलिए भी उक्त आंवटन/नियमन आदेश निरस्त होने योग्य है। अप्रार्थी संख्या 1 नियम 11 व 12 के अन्तर्गत आंवटन/नियमन करवाने का एक योग्य व्यक्ति नहीं है व न ही हकदार है। नियम 11 व 12 के अन्तर्गत आंवटन/नियमन के लिये जो योग्यता बताई गई है उनमें अप्रार्थी संख्या 1 नहीं आता है इसलिए अप्रार्थी संख्या 1 आंवटन/नियमन का हकदार नहीं होने से भी उक्त आंवटन/नियमन आदेश निरस्त होने योग्य है। राजस्व भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आंवटन) नियम 1970 के नियम 14 के अनुसार सर्व प्रथम गैर खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाते है व 10 वर्ष पश्चात् शर्त पूर्ण करने पर खातेदारी अधिकार प्राप्त होते है। इससे पूर्व खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होते है। अप्रार्थी संख्या 1 का आंवटन 27.06.2002 को हुआ व गैर खातेदारी अधिकार दिनांक 29.03.2004 को नामान्तरकरण स्वीकृत कर दिया गया नियमानुसार खातेदारी अधिकार दिनांक 29.3.2014 के बाद प्राप्त होते है इससे पूर्व नहीं। फिर भी तहसीलदार डेगाना द्वारा गलत रूप से अवधि पूर्व दिनांक 04.02.2008 को ही खातेदारी अधिकार प्रदान कर दिये जिससे पूर्ण स्पष्ट है कि सारी कार्यवाही मिलावट कर गलत रूप से नियम विरूद्ध की गई है। इसलिए भी उक्त आंवटन नियमन आदेश विधि सम्मत नहीं होने से निरसत होने योग्य है। उक्त आंवटन/नियमन को नियम 20 के तहत् माना जावे तो भी अप्रार्थी संख्या 1 भूमिहीन काश्तकार नहीं होते हुए भी गलत तथ्यों के आधार पर मिलावट कर गलत तथ्य बताकर कपट कर धोखे से नियमन करवाया व नियमन/आंवटन की शर्तो को पूर्ण नहीं किया गया ऐसा आंवटन/नियमन नियमों के प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है। नियम 14 (4) के अन्तर्गत आवेदन पेश करने हेतु कोई परिसीमा अवधि निर्धारित नहीं है व उक्त आवंटन नियमन आदेश की जानकारी प्रार्थीगण को प्रारम्भ से नहीं थी। जानकारी होते ही गलत विधिक राय के आधार पर अपील पेश कर दी, जिसमें भी राजस्व अपील अधिकारी नागौर द्वारा आवेदन पेश करने की स्वतंत्रता दी है इसलिए समुचित अवधि में प्रार्थीगण की ओर से यह आवेदन पेश किया जा रहा है। जिसके संबंध में मयाद अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं है।

उक्त भूमि खसरा नम्बर 129/1 ग्राम मोरियाना दर्जूडी नाडी के अंगौर व चारागाह उपयोग की जमीन है व दर्जूडी नाडा व चारागाह भूमि का उपयोग प्रार्थीगण व ग्रामवासियों द्वारा किया जाता है। इसलिए प्रार्थीगण प्रभावित व्यक्ति है नियम 14 (4) के तहत् आवेदन कोई भी व्यक्ति कर सकता है। इसलिए प्रार्थीगण ने यह आवेदन पेश किया है उक्त आवेदन पत्र न्यायालय हाजा के स्थानीय क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का होने का कथन करते हुए अप्रार्थी संख्या 1 देवीसिंह के नाम से दिनांक 27.06.2002 को खसरा नम्बर 129/1 के रकबा 5 बीघा का शिविर प्रभारी पंचायत समिति क्षेत्र रियांबडी (भूमि आंवटन एंव नियमन कैम्प) मोडीकलां के किये गये विवादित आंवटन/नियमन आदेश को निरस्त घोषित किया जाकर भूमि पुनः राजहक में दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान कराने का निवेदन किया।

वकील प्रार्थी श्री भंवरलाल चौधरी ने प्रार्थीगण की ओर से बहस में वकील प्रार्थी श्री महेन्द्र कुमार शर्मा द्वारा किए गए कथनो की ताइद करते हुए अतिरिक्त कथन किए की आंवटन/नियमन सलाहकार समिति ने राजस्थान भू–राजस्व (कृषि–प्रयोजनार्थ भूमि का आंवटन) नियम 1970 के नियम 20 के तहत अप्रार्थी संख्या 1 को खसरा नम्बर 129/1 रकबा 8 बीघा 14 बिस्वा सरहद ग्राम मोरियाना में से रकबा 5 बीघा जमीन का नियमन किया। नियम 20 में प्रावधान सख्ती से है कि, केवल भूमिहीन व्यक्ति को ही यानि अतिक्रमी का ही कब्जा नियमन किया जा सकता है। इस नियम 1970 में स्पष्ट रुप से प्रावधान है कि, अगर किसी व्यक्ति ने अपनी भूमि किसी को बेचकर अथवा अन्य तरह से हस्तान्तरण करके भूमि हीन बन गया हो और उसने हस्तान्तरण के तथ्य छिपा लिये हो तो ऐसे व्यक्ति यानि अतिक्रमी का कब्जा माफिक

Scanned by CamScanner

नियमों के नियमन नहीं किया जा सकता और न उस अतिक्रमी को खातेदारी अधिकार प्रदान किये जा सकते है। अप्रार्थी संख्या 1 के पास शुरु में तो 122 बीघा 18 बिस्वा जमीन थी। जो उसके स्व. पिता के नाम खातेदारी की थी और फिर उसके पिता द्वारा कुछ हस्तान्तरण करने के बाद उनके नाम रकबा 50 बीघा 5 बिस्वा जमीन रह गई और पिता के स्वर्गवास के बाद अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी में रकबा 44 बीघा 9 बिस्वा जमीन का एक खाता कायम हुआ और यह सारे तथ्य अप्रार्थी संख्या 1 ने या तो आंवटन/नियम सलाहकार समिति के सदस्यों से सांठ–गांठ करके उनकी जानकारी में यह तथ्य होते हुए भी उन्होंने अनदेखी करके अप्रार्थी संख्या 1 को उसके अतिक्रमण को नियमन करके उसे खातेदारी अधिकार प्रदान करने में बड़ी भारी भूल की है।

योग्य आंवटन/नियमन सलाहकार समिति ने राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आंवटन) नियम 1970 के नियम 20 व अन्य नियमों की पालना नहीं करके अप्रार्थी संख्या 1 के अतिक्रमण को नियमन करके उसे खातेदारी प्रदान करने में बड़ी भारी भूल की है।

उपखण्ड अधिकारी मेड़ता के समक्ष अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदन नियमन/आंवटन के आवेदन में सही तथ्यों का उल्लेख नहीं किया। खातेदारी भूमि में गलत विवरण पेश किया था। इसके अलावा आवंटन आदेश पारित करने के पूर्व विधि अनुसार न तो आवेदन आमंत्रित किये गये और न ही आंवटन कमेटी के सदस्यों को विधि अनुसार इतला दी गई। आंवटन कमेटी की बैठक के समय वांछित सदस्य उपस्थित नहीं थे। इस प्रकार से अप्रार्थी संख्या 1 के हक में खसरा नम्बर 129/1 में से 5 बीघा भूमि का आंवटन/ नियमन आदेश अवैध होने से निरस्त होने योग्य है।

अप्रार्थी संख्या 1 ने आंवटन के पश्चात् भी भूमि पर नियमानुसार काश्त नहीं की, बल्कि आंवटन की शर्तों का उल्लंघन करते हुए अन्य व्यक्तियों को विक्रय कर दी। इसलिए भी अप्रार्थी संख्या 1 के हक में किया गया आंवटन आदेश निरस्त होने योग्य है।

प्रार्थीगण को उपरोक्त आंवटन की जानकारी दिनांक 15.09.2011को हुई और जानकारी होने के पश्चात् उक्त आंवटन/नियमन को निरस्त करवाने बाबत् कार्यवाही कर रहे है। इसके लिए नियम 14(4) राज. कृषि भूमि आंवटन नियमन 1970 के अन्तर्गत आवेदन कभी भी पेश करने का कथन करते हुए आंवटन/नियमन सलाहकार समिति पंचायत समिति क्षेत्र रियांबड़ी के प्रभावी अधिकारी सहायक कलक्टर, मेड़ता द्वारा ग्राम मोरियाना तहसील डेगाना के खसरा नम्बर 129/1 में से 5 बीघा रकबे का नियमन/आंवटन आदेश दिनांक 27.6.02 निरस्त फरमाया जाकर उक्त भूमि को राजकीय भूमि घोषित करने का निवेदन किया।

वकील अप्रार्थी श्री हेमसिंह चौधरी ने बहस में कथन किया की अप्रार्थी अनुसूचित जाति का गरीब तबके का पशुपालक भूमिहीन कृषक है, उसके गांव में घर बाडा की जमीन नहीं है। खसरा नम्बर 129/1 रकबा 8 बीघा 14 बिस्वा वाके ग्राम मोरियाना की किस्म चाही पंचम है, अंगौर पायतन नहीं है। अप्रार्थी ने अपनी समझ समझाईश संभाली तब से ही इस खसरा नम्बर 129/1 के 5 बीघा रकबे पर अप्रार्थी देवीसिंह का ही कब्जा काश्त देखा है। प्रार्थीगण ने अदावतन यह आवेदन प्रस्तुत किया है। प्रार्थीगण सभी एक ही परिवार के वन्शज है तथा अप्रार्थी देवीसिंह से उसकी पुश्तेनी रंजिश चल रही हैं। अप्रार्थी सुखाराम ने उक्त देवीसिंह से खसरा नम्बर 129/1 रकबा 5 बीघा खातेदारी भूमि में सें 1/10 वां हिस्सा की भूमि बडी मुश्किल से पेट काट काट कर व कहीं से जुगाड कर रूपयों का इंतजाम कर दिनांक 9.1.2011 को क्रय किया था तथा बाडा बना कर पशुपालन शुरू किया जो एक कृषि कार्य की ही परिभाषा में आता है। गत 25–30 बरसों में जब अप्रार्थी का इस जमीन पर कब्जा चला आ रहा था, तब प्रार्थीगण या किसी गांव वालों ने इसकी कोई शिकायत नहीं की मगर अब जब अप्रार्थी देवीसिंह ने इस जमीन को शनिधाम ट्रस्ट को गोशाला के नाम विक्रय किया तब प्रार्थीगण ने द्वेष वश यह प्रकरण पहले आर.ए.ए. नागौर के समक्ष पेश किया, जो खारिज हो गया। नियमन हुए दस साल हो गये है, बेचानों का पंजीयन हो चुका है। अतः विक्रय विलेखों को इस आवेदन के जरिए खारिज नहीं करवायी जा सकती। प्रार्थीगण को अब सक्षम दीवानी न्यायालय में इन विक्रय विलेखों को खारिज करवाने का विकल्प खुला है, इसलिए यह आवेदन मय खर्चा खारिज फरमाने का कथन करते हुए प्रार्थीगण को सक्षम दीवानी न्यायालय में चारा–जोई करने का निर्देश फरमाया जाने का निवेदन किया। वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस के समर्थन में डी.एन.जे.(राज.) 2018(2) पेज–726 से 729 न्यायिक दृष्टान्त पेश किया।

राजपैरोकार श्री कुन्दनसिंह आचीणा ने अप्रार्थी संख्या–2 तहसीलदार डेगाना की ओर से बहस में कथन किया की हस्तगत प्रकरण अप्रार्थी देवीसिंह को भूमि का आवंटन/नियमन नियमानुसार किया गया एवं तत्पश्चात नियमानुसार ही गैर खातेदार से खातेदार घोषित किया है। हस्तगत प्रकरण में

Scanned by CamScanner

आवंटित/नियमन की गई भूमि की किस्म अंगोर नहीं होकर चाही पंचम नहीं है। प्रार्थीगण ने हस्तगत प्रकरण में आंवटित/नियमन की गई भूमि का आवंटन/नियमन निरस्त करवाने हेतु लगभग 10 वर्ष पश्चात यह आवेदन पेश किया है एवं अप्रार्थी देवीसिंह को खातेदारी अधिकार भी उक्त वादग्रस्त भूमि में प्राप्त हो जाने से अब उक्त आवंटन/नियमन को निरस्त किया जाना युक्ति–युक्त नहीं होने का कथन करते हुऐ प्रार्थीगण का आवेदन पत्र खारिज करने का निवेदन किया है।

वकुलाय की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया। वकील अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त डी.एन.जे.(राज.) 2018(2) पेज–726 से 729 का ससम्मान अवलोकन किया। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या–1 देवीसिंह को ग्राम मोरियाणा के खसरा नम्बर 129/1 किस्म चाही पंचम में सें रकबा 05.00 बीघा भूमि का नियमन सर्वसम्मति से दिनांक 27.06.2002 को स्वीकार करने का आदेश पारित किया गया है। प्रस्तुत रिकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट कि अप्रार्थी देवीसिंह को उक्तानुसार नियमन की गई भूमि की किस्म अंगोर नहीं होकर चाही पंचम है, जो अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध पटवारी मोड़ीकलां, भू–अभिलेख निरीक्षक थांवला तथा उप तहसीलदार भैरून्दा की रिपोर्ट दिनांक 27.06.2002 स्पष्ट है। इसी रिपोर्ट दिनांक 27.06.2002 में ग्राम मोरीयाणा के खसरा नम्बर 129/1 किस्म चाहीं पंचम भूमि पर अप्रार्थी देवीसिंह का पी–14 के अनुसार संवत् 2046 में 7 बीघा, 2048 में 5 बीघा, 2049 में 5 बीघा, 2051 में 5 बीघा, 2052 में 5 बीघा, 2055 में 8 बीघा, 2056 में 8 बीघा, 2057 में 8 बीघा, 2058 में 8 बीघा पर अतिक्रमण होना, अप्रार्थी को भूमिहीन होना बताते हुऐ भूमि चाही पंचम को नियमन योग्य बताया जाने पर विधिवत उक्त भूमि का अप्रार्थी देवीसिंह के पक्ष में 5बीघा भूमि का नियमन दिनांक 27.02.2002 को स्वीकार किया गया एवं उक्त संबंध में अप्रार्थी देवीसिंह के पक्ष में उक्त 5 बीघा भूमि गैर खातेदारी का नामान्तरकरण संख्या 625 दिनांक 19.03.2004 को स्वीकृत किया गया एवं तत्पश्चात उक्त 5 बीघा भूमि का अप्रार्थी देवीसिंह का खातेदार का नामान्तरकरण संख्या 748 तहसीलदार डेगाना द्वारा 04.02.08 को स्वीकृत किया गया है। इस प्रकार अप्रार्थी देवीसिंह को उक्त वादग्रस्त 5 बीघा भूमि के संबंध में खातेदारी अधिकार भी प्राप्त हो चुके है। इस प्रकार उपरोक्तानुसार अप्रार्थी देवीसिंह को किया गया आवंटन/नियमन विधि सम्मत प्रतीत होता है। इसके अलावा प्रार्थीगण ने उक्त वादग्रस्त भूमि आवंटन/नियमन को निरस्त करने हेतु 10 वर्ष पश्चात एवं अप्रार्थी देवीसिंह को खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के पश्चात यह आवेदन उक्त आवंटन/नियमन को निरस्त करने हेतु पेश किया है, जो उचित नहीं है। उक्त संबंध में वकील अप्रार्थी श्री हेमसिंह चौधरी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत डी.एन.जे.(राज.) 2018(2) पेज–726 से 729 हस्तगत मामले में पूर्णतया चस्पा होता है। इस प्रकार प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत यह आवदेन पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत यह आवेदन अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970 खारिज किया जाता है। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार डेगाना को उनका मूल रिकार्ड लौटाते हुऐ निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय सुनाया गया।

(दिनेश कुमार यादव)
जिला कलक्टर, नागौर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Yadav
Date: 2019.11.22 16:00:13 IST
Reason: SelfAttested
Location: